

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

कुलसचिव  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर



पत्रांक युनि.वि./सम्बद्ध/19-02/200/ 8181  
दिनांक 01-02-20

सेवा नं.  
प्रकाशक,  
दुर्गम साप्ताहिक वीर बहादुर,  
जौनपुर।

विषय : महाविद्यालय को सम्बद्ध रूप पर कार्य/विद्यालय संकाय को विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने की सम्बन्ध में।

श्रीमान,

प्रामुखता विषयक की सम्बन्ध में शासनपत्र संख्या-1333(1)/समा-6-2014-2(97)/2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014 जिसकी द्वारा लोक सं 2014-18 में जौनपुर महाविद्यालय/पूर्व में सम्बन्धित महाविद्यालयों में जौनपुर पदस्थकों को सम्बद्धता हेतु प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (प्रत्येक अधिनियम संख्या-14 सं 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के अनुसार को जौनपुर राज्य संकाय की सम्बद्धता की पूर्णतुल्य दिव्य जाने की सम्बन्ध को सम्बन्धित कर दिया है, कि इन में सम्बन्धित रूप पर सम्बन्धित/विद्यालय संकाय को जौनपुर शैक्षिक विद्यालय, स्वास्थ्य विद्यालय, कल्याण विद्यालय, प्रविष्ट विद्यालय व समित्त विद्यालय में सम्बद्धता समिति की समिति के अध्यक्ष पर माननीय कुलसचिव जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों की जौनपुर दिनांक-01.07.2019 से सम्बद्धता की शर्तों की पूर्णतुल्य प्रदान कर दी गयी है -

1. महाविद्यालय शासनपत्र संख्या-2801/समा-2-2003-16(32)/2002, दिनांक-02 जुलाई, 2002 में अधिनियम सुसंगत विद्या-निर्देशों एवं इस विषय में उत्तर-प्रदेश पर निर्दिष्ट अन्य शासनपत्रों का पालन करेगी।
2. शासनपत्र संख्या-5287/स-2-2005-2(166)/2002 टी.पी., दिनांक-16.11.2008 एवं शासनपत्र संख्या- 8125/ 70-2-2005-2 (188) 2002, दिनांक-21.10.2008 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय/सम्बद्ध विश्वविद्यालय को कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस अर्थ पर उत्तर-प्रदेश प्रतिष्ठान प्रेषित करेगा कि संकाय/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. वि.टि. अधिका संख्या-81889/2012 में पत्रिका आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकनुसार शिक्षकों को अनुसूचक/निर्दिष्ट को संकाय में निर्दिष्ट शासनपत्र संख्या-522/समा-2-2013-2(330)/2012, दिनांक-30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संकाय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्पन्न/अध्यक्ष ने निर्दिष्ट तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उत्तरी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधिनियमों के अधिनियम संकाय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस किए जाने की कार्यवाही विद्यालय/संकाय की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि को सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कृषि एवं अन्य गैर-सम्बन्धी कार्य प्रकल्प में जाने पर सम्बद्धता वापस प्रत्यापन सम्पत्ती जायेगी।
7. शासन की पत्र संख्या-12/2015/490/समा-2015-16 (33)/2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्रशासक/प्रशासकों आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपडेट करेगी।
8. उक्त सम्बद्धता प्रामुख पर्याप्त, एन.टी.पी. प्रस्ताव-वर्ष, अधिनियम प्रस्ताव वर्ष से सम्बन्धित शर्तों के सम्बन्धित को सम्बन्धित के अधिनियमों में।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.M.S.E का परीक्षण करके उत्तम प्रकार प्रदान पर विश्वविद्यालय को उत्तम प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
01/02/20  
कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशकालय 3050 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. अध्यक्ष, क्षेत्रीय को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद को सम्बन्धित रखे जाने हेतु।
5. परीक्षा निदेशक/अतिरिक्त/परिष्कृत विभाग।
6. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव